

2 April The Hindu (GS PAPER 2)

ENSURING ACCESS TO JUSTICE

न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करना

संदर्भ-

- सुप्रीम कोर्ट को विधि आयोग की सिफारिशों (125वीं रिपोर्ट और 229वीं रिपोर्ट) को ध्यान में रखते हुए भारत के अन्य राज्यों में भी बेंच की स्थापना पर पुनर्विचार करना चाहिए।
- संविधान के अनु. 130 के अनुसार - दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट होगा तथा मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति से किसी अन्य शहर में भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच गठित की जा सकती है।
- विभिन्न न्यायधीशों के अनुसार- सुप्रीम कोर्ट की बेंच सिर्फ दिल्ली में होनी चाहिए क्योंकि यदि अन्य जगह पर बेंच स्थापित की जाती है तो इससे सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता व न्याय प्रभावित होगा, लेकिन अन्य राज्यों में हाइकोर्ट की बेंच एक से अधिक स्थानों पर है, जैसे- बाम्बे हाइकोर्ट की बेंच चार स्थानों पर है, मुंबई औरंगाबाद नागपुर और पणजी लेकिन इससे इस कोर्ट की न्याय अधिकारिता या गुणवत्ता प्रभावित नहीं हुई हैं।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच सिर्फ दिल्ली में होने से तीन नकारात्मक प्रभाव हुए -

1. विभिन्न राज्यों के हाइकोर्ट में कार्यरत उत्कृष्ट अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में इसलिए भी उपस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर अतिरिक्त मौद्रिक भार के बढ़ने की संभावना रहती है।
 2. दिल्ली में निवास करने वाले अधिवक्ता चाहे वो योग्य हो अथवा नहीं सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली में ही स्थित होने के कारण विभिन्न मामलों की पैरवी में सुलभतापूर्वक उपस्थित हो पाते हैं। इन अधिवक्ताओं के द्वारा विधिक सहायता शुल्क के रूप में एक मोटी रकम वसूली जाती है। साथ ही साथ एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में इनका एकाधिकार भी स्थापित हो गया है।
 3. अनुच्छेद 130 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की बेंच सिर्फ दिल्ली में है, इससे कार्य का बोझ बहुत बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अंतिम अपील हेतु की गई थी लेकिन कार्य का बोझ होने से यह जिला अदालत की तरह कार्य कर रहा है।
- अनैतिक व भ्रष्ट वकीलों के कारण अधिकतम लोगों तक न्याय की पहुँच सुनिश्चित नहीं हो पाती है परंतु सभी वकील अनैतिक नहीं होते हैं, यह भी एक यथार्थ सत्य है।
 - वकीलों द्वारा विभिन्न मामलों में पीड़ितों के लिए मुआवजे के संदर्भ में अपनी सेवाएं निःशुल्क देने का दावा किया जाता है लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, लेकिन मुआवजे की राशि आने के बाद वकीलों द्वारा पीड़ित से पैसा मांग लिया जाता है।

- भारत में गरीब लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने हेतु कानूनी सेवा प्राधिकरणों की स्थापना की गयी है, लेकिन वकील पीड़ित से संपर्क करके उन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष रिट दायर करने के लिए आश्वस्त करते हैं, यह दिखाने के लिए रिट याचिका के बिना मुआवजा नहीं मिलेगा, और जब मुआवजे की राशि मिल जाती है, तो बदले में वह अपनी हिस्सेदारी का दावा करते हैं।
- दिल्ली उच्च न्यायालय में एक शोध संगठन अध्ययन में यह पाया कि 70% मामलों के निपटान में देरी के जिम्मेदार वकील हैं। ऐसी स्थिति में लोगों का वकीलों से भरोसा उठ रहा है। और बहुत से लोगों द्वारा न्याय हेतु सीधे न्यायधीशों को पत्र भेजे जा रहे हैं। लेकिन न्यायधीशों पर कार्यभार होने के कारण सभी पत्रों का निपटान संभव नहीं है।
वकीलों के भ्रष्टाचार व बेईमानी के कारण ऐसी स्थितियां पैदा हुई, अनैतिक वकीलों के ऐसे आचरण का कारण उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का न होना भी है।
- 1961 में 'अधिवक्ता अधिनियम' के अंतर्गत वकीलों के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार 'बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया' को है, कोर्ट या न्यायधीशों के पास यह अधिकार नहीं है।

सुधार के उपाय-

- विधि आयोग की 125वीं तथा 229 वी रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच दिल्ली के अलावा भी देश के बड़े शहरों में गठित की जानी चाहिए।
- बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपना कार्य प्रभावी ढंग से करना चाहिए तथा भ्रष्ट वकीलों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी चाहिए और यदि ऐसा करने में बॉर काउंसिल सक्षम न हो तो उसे यह अधिकार न्यायालयों को देना चाहिए।
- वकीलों को नैतिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा अयोध्या मामले की तरह कोर्ट द्वारा मध्यस्थता की जानी चाहिए ताकि वकीलों की भूमिका को सीमित किया जा सके।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न- बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. बार काउंसिल ऑफ इंडिया भारत के विधिक व्यवसाय व शिक्षा का नियमन करने हेतु भारत की व्यावसायिक विनियामक संस्था है।

2. इसकी अधीनस्थ संस्थाएँ क्षेत्रीय बार परिषद्, विधि महाविद्यालय तथा विधि संस्थान है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर (d)

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न- सभी को आसान न्याय सुनिश्चित कराने हेतु सुप्रीम कोर्ट की बैंच को अन्य शहरों में भी गठित किये जाने की आवश्यकता है। क्या आप इस कथन से सहमत है।

Deeping Insecurity

संदर्भ-

- विज्ञान कथा साहित्य के वैज्ञानिकों और लेखकों ने इस भ्रम को बढ़ावा दिया है कि किसी एक दिन मानव जाति के पास इतने भयानक हथियार होंगे कि उसके प्रभाव का डर हमेशा के लिए युद्ध की संभावना को समाप्त कर देगा।
- 'मिशन शक्ति' द्वारा हमने अन्य देशों के लिए यह डर पैदा कर दिया कि यदि हमारे सेटेलाइटों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, गई तो हम उसका जवाब देने में समर्थ हैं।
- इस संदर्भ में डिटेन्स या युद्ध का सिद्धांत जो विशेष रूप से परमाणु हथियारों से संबंधित है। इसी सिद्धांत की एक अवधारणा है 'म्युचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन' यह एक सैन्य सिद्धांत है, जिसे पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है जिसके अंतर्गत यह कहा जाता है कि जब दो विरोधी देश परमाणु हथियार रखते हैं, तो उनमें से किसी के द्वारा भी हथियारों का उपयोग करने की संभावना नहीं होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि परमाणु हमले से दोनों पक्षों का विनाश होना सुनिश्चित होता है।
- यह सिद्धांत संतुलन का अनुप्रयोग माना जाता है जिसमें एक मजबूत जवाबी हमले का खतरा दोनों पक्षों को संघर्ष शुरू करने से रोकता है, इसका एक परिणाम परमाणु हमले की स्थायी रोकथाम है।
- इस सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि पहले हमला करने वाले देश के बाद दूसरे पीड़ित देश को प्रतिकार करने की पर्याप्त क्षमता रहेगी या नहीं?
- म्युचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का सिद्धांत 20वीं शताब्दी के मध्य में शीत युद्ध के दौरान उभरा था जब अमेरिका व रूस ने इतने परमाणु हथियारों का भंडार कर लिया था कि अगर लॉन्च किये जाते तो दोनों देशों का विनाश हो जाता है।
- इस तरह यह सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित है कि सभी देशों द्वारा परमाणु हथियारों की क्षमता हासिल करने पर विश्व में स्वतः शांति स्थापित हो जायेगी।
- 1867 में डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल का मानना था कि जिस दिन युद्ध करने वाली दोनों सेनाओं के पास एक-दूसरे के विनाश की शक्ति आ जायेगी उस दिन सभी सभ्य देशों से यह उम्मीद की जायेगी कि वह युद्ध से पीछे हटेंगे व शांति की राह अपनायेंगे।
- विश्व द्वारा तेजी से घातक हथियारों के आविष्कार ने वैश्विक हथियारों की दौड़ को बढ़ावा दिया है। विश्व स्तर पर हथियारों के निर्माण पर वार्षिक खर्च लगभग 1.7 ट्रिलियन डॉलर किया जाता है। एक अनुमान

के अनुसार दुनिया में परमाणु हथियारों की कुल संख्या लगभग 15 हजार से 20 हजार तक है। वर्तमान में अमेरिका और रूस द्वारा 1800 परमाणु हथियार लॉन्च करने के लिए अलर्ट की स्थिति में हैं।

- ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार 2017 में वैश्विक स्तर पर हिंसा से 14.7 ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ था। सिरिया, अफगानिस्तान और ईराक में संघर्षों के कारण इस आर्थिक नुकसान में 16% की वृद्धि हुई।
- ग्लोबल पीस इंडेक्स यह भी दर्शाता की पिछले 70 वर्षों में शांतिपूर्ण देशों की जीडीपी का विकास 3 गुना अधिक रहा इसलिए 10 साल पहले की तुलना में 102 राष्ट्रों द्वारा अपनी जीडीपी का सैन्य क्षमताओं में वृद्धि पर कम खर्च किया जा रहा है।
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून, ने 2009 में यह कहा था कि विश्व अत्यधिक मात्रा में हथियारों से लैस है।
- शीत युद्ध के अंत के बाद भी विश्व में 20 हजार से अधिक परमाणु हथियारों का विकास किया गया, इन हथियारों में से कई तो हाई अलर्ट पर है जो मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा है।
- इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स (ICAN) को 2017 में नोबल शांति पुरस्कार दिया गया था। इस संस्था के द्वारा विश्व को परमाणु हथियारों को नष्ट करने के लिए अपील की गई थी।
- वर्तमान में बढ़ रही हथियारों की होड़ से विश्व में असुरक्षा गहराती जा रही है।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

1. परमाणु हथियारों को खत्म करने का अंतर्राष्ट्रीय अभियान (ICAN) के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
 1. इस कार्यक्रम का उद्देश्य हथियारों की होड़ रोक कर आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है।
 2. ICAN विश्व के 100 देशों के गैर-सरकारी संगठनों का गठजोड़ है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत परमाणु हथियारों के निषेध के लिए कार्य करता है।
 3. वर्ष 2017 में ICAN और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO) को संयुक्त रूप से शांति का नोबल दिया गया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

 - (a) 1 और 2
 - (b) 2 और 3
 - (c) 1, 2 और 3
 - (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं